फर्द अहकाम

कुशलाराम बनाम नाथू

ख्या: 59/2013

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31.01.2024	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार आमेर को पुनः ईडीएम मशीन द्वारा वादग्रस्त आराजी का सीमांकन कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु तहरीर जारी की जावें। दौराने बहस प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वाद को खारिज किया जाने का निवेदन किया। बहस उभयपक्षकारान व तहसीलदार आमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अवलोकन किया गया तहसीलदार आमेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि पटवार हल्का कुकस से प्राप्त मौके व स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कुकस की वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रश्नगत खसरा नं 275, 276, 283, 284, 285, 292, 293, 294, 295, 296 में खसरा नम्बरों के साथ ही कालम 'जमाबन्दी में बाडा, आबादी एवं दुकान अंकन दर्ज है अर्थात पुराने समय से ही आबादी, बाडे व दुकान होना रिकार्ड जमाबंदी से स्पष्ट है तथा वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरों पर पक्के मकानात निर्माण होकर आबादी बस चुकी है, ये खसरा नम्बर ग्राम कुकस की मुख्य आबादी के समीप स्थित है, मौके पर कृषि कार्य नहीं है। आबादी बसी होने से खसरा नम्बरान का चिन्हीकरण / सीमाज्ञान सम्भव नहीं हो पा रहा है । चुकी उक्त प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर आबादी बसी होने तथा कृषि कार्य नहीं होने तथा सघन आबादी बसने के कारण तथा मकानात का दिगर/अन्य व्यक्तियो को रजिस्टर्ड /इकरारनामा से बेचान होने के कारण खसरा नम्बरान का चिन्हीकरण/सीमाकन त्रुटिपूर्ण होने से कुर्रेजात तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता व पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर आबादी बसी होने तथा कृषि कार्य नहीं होने तथा सघन आबादी बसने के कारण तथा मकानात का दिगर/अन्य व्यक्तियो को रजिस्टर्ड /इकरारनामा से बेचान होने के कारण खसरा नम्बरान का चिन्हीकरण/सीमाकन त्रुटिपूर्ण होने से कुर्रेजात तैयार किया जाना सम्भव नहीं होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:35 IST
Reason: SelfAttested